कार्यवाही विवरण

मेसर्स डी.बी.पॉवर लिमिटेड, ग्राम–बड़ादरहा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तावित 1200 मेगावॉट कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इस हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानानुसार लोक सुनवाई दिनांक 30.06.2009 दिन मंगलवार दोपहर 12.00 बजे से स्थान ग्राम–डभरा, रावणभाठा, जिला जांजगीर–चांपा में कराई गई । राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों से मेसर्स डी.बी.पॉवर लिमिटेड, ग्राम–बड़ादरहा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तावित 1200 मेगावॉट कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवसों के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली एवं स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि के अंक में दिनांक 15.05.2009 एवं 17.05.2009 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया ।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के समक्ष 01 लिखित आपत्ति/सुझाव एवं दिनांक 30.06.2009 को लोक सुनवाई के दौरान 09 लिखित आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका टिप्पणी प्राप्त हुआ। यह थर्मल पॉवर प्लांट ग्राम–बडादरहा, जनपद पंचायत–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा के अंतर्गत लगभग 492 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

लोक सुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी अपर कलेक्टर, जांजगीर द्वारा दी गई। तत्पश्चात् लोक सुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के प्रतिनिधि श्री कौशल शर्मा, (परियोजना समन्वयक) द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों का कंपनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना की स्थापना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायों की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। इसके उपरांत जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से 07 लोगों के द्वारा मौखिक रूप से उक्त उद्योग के स्थापना के संबंध में विरोध प्रकट किया गया :–

1. श्री मोहित राम नायक, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, जांजगीर–चांपा।
2. श्री रूप सिंह चंद्रा, डभरा।
3. श्री मोतीराम राठिया, पूर्व संरपंच, ग्राम पंचायत बड़ादरहा।
4. श्री कृष्ण कुमार पटेल, कोटमी डभरा।
5. श्री विजय कुर्रे, ग्राम–पिरहीद, दलित मुक्तिमोर्चा डभरा ब्लॉक।
6. श्री सुन्दर पंकज, दलित मुक्तिमोर्चा डभरा ब्लॉक।
7. श्रीमती बुंदकुंवर बंजारे, ग्राम–गोबरा, डभरा ब्लॉक।

उक्त लोगों के द्वारा मौखिक आपत्ति दर्ज कराई गई कि, प्रस्तावित विद्युत संयंत्र की लोक सुनवाई ग्राम–बड़ादरहा में ही की जावें। उपरोक्त लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए हमारे द्वारा कृषि भूमि नहीं दी जायेगी। तथा इस लोक सुनवाई का विरोध करते हुए इसके निरस्तीकरण की मांग करते है।

लोक सुनवाई हुई जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका टिप्पणी दर्ज कराई गई। जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की संख्या लगभग 700–800 रही । अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई ।

(श्री बी.एस.ठाकुर)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर

(श्री सुकुमार चांद)
अपर कलेक्टर
कार्यालय कलेक्टर
जिला–जांजगीर–चांपा